न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 5/2019

सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

लक्ष्मीचंद पुत्र हीरा वगै0 जाति मीना निवासी रींझया तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

दायरा दिनांकः 14.01.2019 निर्णय दिनांक : 14.01.2019

पटवारी हल्का जारेला, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम रींझया में सेटलमेंट जमाबंदी में खसरा नं0 351 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 351/574 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 351/575 रकबा 0.52 है0 क्रमशः लक्ष्मीचंद पुत्र हीरा, रामकल्याण पुत्र हीरा, मोहनलाल पुत्र हीरा जाति मीनाा सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड था। नक्शे लट्ठे से नापने पर खसरा नं0 351 का रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 351/575 का 0.42 है0 व खसरा नं0 351/574 का रकबा 0.78 है0 है जो खसरा नं0 351, 351/574 व 351/575 के रकबे 0.52 है0, 0.52 है0, 0.52 है0 कुल रकबा 1.56 है0 है। नामान्तरकरण संख्या 293 दिनांक 01.01.2018 से खसरा नम्बर 351 रकबा 0.52 है0 में से 0.26 है0 व खसरा नं0 351/575 रकबा 0.52 है0 में से 0.24 है0 भूमि रामकल्याण पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुई थी। जिससे खसरा नं0 351/617 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 351/618 रकबा 0.24 है0 दो तरमीमे जनरेट हुई है। खसरा नं0 351 में से 0.26 है0 काटने पर नक्शे में 0.10 है0 ही रकबा शेष रहेगा तथा खसरा नं0 351/575 में से 0.24 है0 काटने पर 0.18 है0 ही शेष रहेगा। जबकि जमाबंदी में 351 का रकबा 0.26 है0 तथा खसरा नं0 351/575 का रकबा 0.28 है0 शेष है। अतः मौके की स्थिति अनुसार निम्न प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम आदेश फरमाने वास्ते रिपोर्ट सादर पेश है।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्ये लैण्ड होल्डर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 14.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1. नकल नामा0 नम्बर 293 दिनांक 01.01.2008 2. हाल नकल जमाबंदी 2074–77 खाता संख्या 88, 125, 144 ग्राम रींझया 3. नक्सा ट्रेस नकल 4. निर्णय नकल प्रकरण संख्या 91/04 निर्णय दिनांक 04.01.2006 धारा 88, 188, 53 आर टी एक्ट की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि ग्राम रींझया

नक्शे नट्ठे में वर्तमान नजरी नक्शा आराजी खसरा नं0 351 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 351/575 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 351/574 रकबा 0.52 है0 को दुरूस्त किया जाकर पटवारी पटवार हल्का जारेला द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार ग्राम रींझया के वर्तमान नक्शा नट्ठे को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। **पटवारी पटवार हल्का जारेला, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगा।** तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सु